तीन राज्यों में ईडी की छापेमारी

25 ठिकानों पर कफ सिरप कांड को लेकर कार्रवाई

32 आरोपियों की अब तक हो चुकी है गिरफ्तारी

रांची, 12 दिसंबर. जानलेवा कोडिन कफ सिरप कांड में ईडी का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन सामने आया है. अवैध नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके बाद यूपी सरकार ने मामले की गंभीरता देखते हुए एसआईटी गठित कर दी. शुक्रवार सुबह सात बजे झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की गई. अब तक 32 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 18 अक्टूबर को सोनभद्र से एक ट्रक भी पकड़ा गया था. मुख्य आरोपी शुभम जयसवाल फरार बताया जा रहा है, उसके पिता गिरफ्तार हैं. रांची स्थित शैली ट्रेडर्स और तुपुदाना गोदाम से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं.

1000 करोड़ रुपए के अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश

सूत्रों के अनुसार जानलेवा कोडिन कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा हुआ है. करीब 1000 करोड़ रुपये के अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की है. शुक्रवार सुबह सात बजे ईडी ने झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 25 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी शुरू की. अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 18 अक्टूबर को सोनभद्र में एक ट्रक भी जब्त हुआ था. मुख्य आरोपी शुभम जयसवाल फरार है, जबकि उसके पिता गिरफ्तार किए जा चुके हैं. रांची में शैली ट्रेडर्स और शुभम के तुपुदाना स्थित गोदाम से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं. शुरुआती जांच में पांच करोड़ से अधिक के वार्षिक अवैध कारोबार के संकेत मिले हैं. ईडी को आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की उम्मीद है. जांच अधिकारियों का कहना है कि यह कारोबार दवा सप्लाई चेन का उपयोग कर बड़े पैमाने पर नकली या प्रतिबंधित सिरप को विभिन्न जिलों में पहुंचाया जाता था. ईडी के सूत्रों के अनुसार इस मामले में कई लोगों की वित्तीय गतिविधियों को खंगालना शुरू किया है. इसी सिलसिले में रांची के सीए विष्णु अग्रवाल भी एजेंसी की जांच के दायरे में आए हैं. वहीं कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है. इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों से चौंकाने वाले खुलासे भी हो चुके हैं.

सिंगर जुबीन केस में चार्जशीट दाखिल

गुवाहाटी, 12 दिसंबर. सिंगर और कंपोजर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने तीन महीने बाद 3500 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दाखिल की है. इसके साथ ही सीआईडी के स्पेशल डीजी मुन्ना प्रसाद गुप्त की अगुवाई वाली एसआईटी ने मामले से जुड़े दूसरे जरूरी कागजात भी गुवाहाटी के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करा दिए हैं. जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्वीमिंग के दौरान हुई थी. वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए कल्चरल ब्रांड एंबेसडर के तौर पर वहां गए थे. फेस्टिवल शुरू होने से पहले, 19 सितंबर को वह एक यॉट ट्रिप पर गए थे.

इंडिगो संकट मामले में अमेरिकी कंपनी को जांच की जिम्मेदारी

नई दिल्ली, 12 दिसंबर. निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने पिछले सप्ताह बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने और उससे पहले बड़े पैमाने पर देरी के कारणों की जांच की जिम्मेदारी एक अमेरिकी कंपनी को सौंपी है. इंडिगो ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि निदेशक मंडल ने अमेरिकी कंपनी चीफ एविएशन एडवाइजर्स को तकनीकी जांच का जिम्मा सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. यह जांच विमानन रक्षा से जुड़े दिग्गज कैप्टन जॉन इलसन के नेतृत्व में होगी जो अमेरिकी विमानन नियामक एफएए, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ के अलावा कई बड़ी वैश्विक एयरलाइंस के साथ काम कर चुके हैं. संकट से निपटने के लिए गठित इंडिगो के आंतरिक संकट प्रबंधन समूह ने जांच में बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करने की सिफारिश की थी जिसे निदेशक मंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है.

बुलेट ट्रेन के लिए स्टील ब्रिज का 130 मीटर स्पैन लॉन्च

अहमदाबाद, 12 दिसंबर. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एनएच-64 और भारतीय रेलवे ट्रैक पर 230 मीटर लंबे स्टील ब्रिज के 130 मीटर स्पैन को लॉन्च किया गया है. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से शुक्रवार को यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने गुजरात के भरूच जिले के कंथारिया गांव के पास नेशनल हाईवे-64 और इंडियन रेलवे ट्रैक की भरूच दहेज फ्रेट लाइन पर 230 मीटर (130 प्लस 100) लंबे स्टील ब्रिज के 130 मीटर स्पैन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया.

SKILL COUNCIL for MINING SECTOR

महिलाओं के लिए निःशुल्क आवासीय डम्पर ऑपरेटर प्रशिक्षण एवं अप्रेंटिसशिप में दाख़िला

स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के पात्र महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित है

प्रशिक्षण ट्रेड	आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता	स्टाइपेंड	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण केंद्र
डम्पर ऑपरेटर (100 टन)	उम्र: 20 से 35 वर्ष 01 दिसंबर 2025 तक	डिप्लोमा (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स में)/ ग्रेजुएट (किसी भी क्षेत्र में)	₹10,900 प्रति माह	1 साल 4 महीने की ट्रेनिंग (चयनित अभ्यर्थियों को 4 महीने के प्रशिक्षण के उपरांत 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप प्रदान की जाएगी)	सिंगरौली, मध्य प्रदेश

आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 19 दिसंबर 2025, शाम 5:00 बजे तक

अधिक जानकारी के लिए " www.skillcms.in " पर जाएँ और किसी भी अन्य जानकारी एवं सहायता के लिए कृपया कॉल करें: 70006 26450

गोवा में जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त : केजरीवाल

भाजपा पर दबाव की राजनीति का लगाया गंभीर आरोप

वेलिम, 12 दिसंबर. गोवा की राजनीति में लगातार बढ़ रही हलचल के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने गुरुवार को वेलिम में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला.

उन्होंने कहा कि गोवा की जनता भ्रष्टाचार, भय और गुंडागर्दी से त्रस्त हो चुकी है, और अब परिवर्तन की लहर उठ चुकी है. केजरीवाल के अनुसार, भाजपा ने राज्य में ऐसा राजनीतिक माहौल बनाया है जहां आम नागरिक अपनी आवाज उठाने से डरता है, जबकि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और जनता को दबाने के लिए किया जा रहा है. कार्यक्रम में मौजूद बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्हें वेलिम के अद्भुत और जागरूक नागरिकों से मिलकर राज्य के वास्तविक हालात को समझने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि गोवा की जनता हर स्तर पर परेशानियों का सामना कर रही है—चाहे वह महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, भ्रष्टाचार हो या सरकारी दमन. केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक जनता के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं.

> केजरीवाल के इस बयान ने गोवा की राजनीति में नई गर्माहट ला दी है. भाजपा की ओर से अभी तक इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि आप की सक्रियता और केजरीवाल का गोवा में बढ़ता हस्तक्षेप आगामी चुनावों में सत्ता समीकरणों को प्रभावित कर सकता है. जिला परिषद चुनावों को परिवर्तन की शुरुआत बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि गोवा में यह चुनाव सिर्फ स्थानीय नेतृत्व का चयन ही नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत भी हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि जनता इस बार भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति को नकारने का मन बना चुकी है और आने वाला चुनाव इसका प्रमाण बनेगा.

70 प्रश कार्य केवल दो वर्ष में ही पूरे किए : भजनलाल

जयपुर, 12 दिसंबर. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को यहां 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

श्री शर्मा ने हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान से इन रथों को रवाना किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा हम जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के विकास का पहिया बिना रुके, बिना थमे आगे बढ़ रहा है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को अपने कामों का हिसाब दें. इसीलिए हमारी सरकार ने पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी अपने सुशासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
TATA
पंजी. कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई - 400013. संपर्क (022) 66069383
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, 2002(''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अधीन

जैसा कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण अनुसार इसमें सूचीबद्ध कर्जदारों/ सह कर्जदारों/गारंटरों (सभी को अकेले या एक साथ ''बाध्यताधारी'' कहा गया है) /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिसों की तिथियों से 60 दिन के अंदर मांग सूचना मे निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की अपील करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन विस्तृत मांग सूचना दिनांक जारी किए गए थे. कथित सूचना की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और यदि कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कार्यालयीन दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते है।

उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा कथित बाध्यताधारियों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार पुनः सुचित किया जाता है कि कथित बाध्यताधारियों द्वारा निष्पादित ऋण के करार एवं अन्य दस्तावेजों /विलेखों के साथ पठित नीचे कॉलम (डी) में संबंधित तिथि से भुगतान और/या वसुली की तिथि तक आगामी ब्याज सहित इसमें उनके संबंधित नामों के समक्ष निर्दिष्ट राशि संबंधित सूचना की तिथियों से 60 दिन के अंदर टीसीएचएफएल को भुगतान करें. कथित बाध्यताधारियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षित आस्तियां कर्ज के देय भुगतान की सुरक्षा के रुप मे टीसीएचएफएल के लिए गिरवी रखी गई है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारियों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.)	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
1	TCHIN0284000100252193 & TCHHF0284000100251421 & TCHHL0284000100248814	श्री जय कश्यप(ऋणी) श्रीमती सोनम कश्यप (सह-ऋणी)	Rs. 20,67,455/- & Rs. 9,45,916/- & Rs. 93,576/-	03-12-2025 & 02-12-2025
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण : अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग, मकान नं. 276, ''इंदिरा एकता नगर'', वार्ड नं. 51 में स्थित, ग्राम मुसाखेड़ी, इन्दौर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश, क्षेत्रफल 500 वर्गफीट अर्थात (46.46 वर्गमीटर), चर्तुःसीमाः पूर्वः रोड, पश्चिमः मोहन गुडिया का मकान, उत्तरः रोड, दक्षिणः नेहा बाई का मकान				
2	TCHIN0284000100408986 & TCHHF0284000100301828 & TCHHF0284000100305717	श्री आनंद देवकर (ऋणी) श्रीमती रुपाली देवकर (सह-ऋणी)	Rs. 23,00,666/- & Rs. 6,96,781/- & Rs. 3,74,746/-	03-12-2025 & 02-12-2025
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण : अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग, फ्लैट नं. 104, प्रथम मंजिल ''वेस्टेण्ड कॉर्पोरेट'' प्लॉट नं. 6/6 (पुराना ब्लॉक नं. 45), न्यू पलासिया, वार्ड नं. 43, इन्दौर (म.प्र.) बिल्टअप एरिया 360 वर्गफीट अर्थात 33.45 वर्गमीटर, चर्तुःसीमाः पूर्वःफ्लैट नं. 105, पश्चिमः फ्लैट नं. 103, उत्तरः एम.ओ.एस की बिल्डिंग, दक्षिणः लॉबी				
3	TCHHL0284000100003414	श्री सुरेश शर्मा (ऋणी) श्रीमती शांता बाई, श्रीमती सुनीता एवं आयुष ट्रेडर्स (सह-ऋणी)	Rs. 28,29,554/-	09-12-2025 & 04-12-2025
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण : अचल संपत्ति का संपूर्ण अधिकार, भाग एवं पार्सल प्लॉट नं. 19, मंगलमय सिटी, सर्वे नं. 146/2, 147/1, 154,155, ग्राम डबल चौकी तहसील एवं जिला देवास, म.प्र.-455221 स्थित, क्षेत्रफल-1500 वर्गफीट, चर्तुःसीमाः पूर्वः प्लॉट नं. 36, पश्चिमः कॉलोनी रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 18, दक्षिणः प्लॉट नं. 20. शेड्यूल बीः अचल संपत्ति का संपूर्ण अधिकार, भाग एवं पार्सल प्लॉट नं. 20, मंगलमय सिटी, सर्वे नं. 146/2, 147/1, 154,155, ग्राम डबल चौकी तहसील एवं जिला देवास, म.प्र.-455221 स्थित, क्षेत्रफल-1500 वर्गफीट, चर्तुःसीमाः पूर्वः प्लॉट नं. 35, पश्चिमः कॉलोनी रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 19, दक्षिणः प्लॉट नं. 21				

*संबंधित मांग सूचना दिनांक में विशेष रुप से निदिष्ट दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अदायगी और/या वसूली की तिथि तक उठाया गया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि. यदि जैसा की ऊपर कहा गया है कथित बाध्यताधारी टीसीएचएफएल को भुगतान नहीं करेंगे तो टीसीएचएफएल खर्च एवं परिणाम के रुप में पूरी तरह से कथित बाध्यताधारियों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों के लिए कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्तसुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियो को बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रुप में हस्तांतरित करने के लिए कथित अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन या उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित सजा और/या दंड का पात्र होगा।

हस्ता./-
दिनांक : 13.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : इन्दौर टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

CFM ARC thoughtful regeneration
सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड CIN: U67100GJ2015PTC083994
पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -400038 ईमेलः ram-jaluka@cfmarc-in संपर्कः 022-40055282/8976862752

कब्जे की सूचना

"फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 21 मार्च 2025 के असाइनमेंट डीड के जरिए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/गारण्टर को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता /गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राशि बंधक संपत्ति के कब्जे का विवरण।

ऋणी/सह-ऋणी एवं गारण्टर का नाम एवं पता	मांग नोटिस की तिथि और राशि	कब्जे की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) 5020787, मधुसूदन पाटीदार (ऋणी), रवि पाटीदार (सह-ऋणी), बीराज बाई (सह-ऋणी), करू लाल (सह-ऋणी)	27.05.2025 4,04,779/- चार लाख चार हजार सात सौ उन्यासी रुपये मात्र 31.03.2025 तक	06-दिसम्बर-2025	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित एल.एस.एन. 1410, मकान क्रमांक 346, ग्राम बदागांव, तह. खाचरोद, जिला उज्जैन, म.प्र., 456224 क्षेत्रफल 810 वर्गफुट पूर्वः सड़क, पश्चिमः सड़क, उत्तरः अम्बाराम नागू जी का मकान, दक्षिणः अम्बाराम रमेश्वर का मकान

दिनांकः 12.12.2025
स्थानः उज्जैन, मप्र
प्राधिकृत अधिकारी
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
[सीएफएमएआरसी ट्रस्ट – 159 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत]

गाजा पर भारत ने शांति नीति दोहराई

तीन देशों की यात्रा पर 15 से जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली 12 दिसंबर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 15 दिसम्बर से शुरू होने वाली चार दिन की यात्रा के दौरान इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा होगी तथा साथ ही अनेक क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है.

विदेश मंत्रालय में सचिव (दक्षिण) डा.नीना मल्होत्रा और अरूण कुमार चटर्जी, सचिव (कांसुलर, पासपोर्ट, वीज़ा और प्रवासी भारतीय मामले) ने शुक्रवार को यहां विशेष ब्रीफिंग में तीनों देशों की यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि ओमान से भारत को वायु सेना के जगुआर विमानों के लिए कलपुर्जो की आपूर्ति शीघ्र होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत गाजा में शांति योजना का समर्थन करता है और वहां स्थायी शांति की बहाली का पक्षधर है. उन्होंने कहा कि ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है और इसके जल्द अंजाम तक पहुंचने की संभावना है. मल्होत्रा ने कहा कि श्री मोदी यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर 15 से 16 दिसंबर तक वहां की द्विपक्षीय यात्रा पर रहेंगे.

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की जॉर्डन की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा होगी जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75 वीं वर्षगांठ पर हो रही है. यह द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल पर हो रही है. दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास और सद्भावना पर आधारित मैत्री संबंध हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं और ओमान में भारतीय समुदाय के करीब 17 हजार से अधिक लोग हैं.

आज का इतिहास

1232- इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर कब्जा किया।

1675- सिख गुरू तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद किया गया।

1772 - नारायण राव सतारा के पेशवा बने।

1921- प्रिंस ऑफ वेल्स ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया।

1921-वाशिंगटन सम्मेलन के दौरान अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और फ्रांस के बीच 'फोर पॉवर' संधि पर दस्तख्त। चारों देशों से सलाह करने का प्रावधान किया गया।

No. WS/5-Desk/Election No. 276/2025
Date : 13/12/2025

निवडणूक सुचना

दि धरमपेठ महिला मल्टीस्टेट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, नागपूर संस्थेची निवडणूक सुचना (कार्यक्रम-२०२५)

Govt. of India Ministry of Co-operation Office of Co-operative Election Authority Delhi Ordered No. CEA-12011/392/2025 Dt.22.10.2025 चे निवडणूक कार्यक्रमानुसार दि. १३.१२.२०२५ रोजी दि धरमपेठ महिला मल्टीस्टेट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, नागपूर या संस्थेच्या निवडणूकीकरीता अंतिम मतदार यादीची (Final List of Members/Delegates) प्रसिध्दी सदर संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या नोटीसबोर्डवर, शाखेनिहाय नोटीस बोर्डावर तसेच शाखेच्या Website (www.dpmahila.com) वर करण्यात आलेली आहे.

Govt. of India Ministry of Co-operation Office of Co-operative Election Authority Delhi यांनी दिलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार निवडणूकी करीता नामनिर्देश भरण्याची तारीख दि. १५.१२.२०२५ ते २०.१२.२०२५ असुन निवडणूकीचा सविस्तर कार्यक्रम www.dpmahila.com या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे.

तरी निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना सदर वेबसाइटवर किंवा सदर संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर निवडणूक कार्यक्रम उपलब्ध करुन दिलेला आहे.

(डॉ. विपीन)
निवडणूक निर्णय अधिकारी
दि धरमपेठ महिला मल्टीस्टेट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड नागपूर र.न. MSCS/CR/३०२/२००९
तथा जिल्हाधिकारी, नागपूर

प्रोबो गेमिंग एप की 117 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क

गुरुग्राम, 12 दिसंबर. हरियाणा के गुरुग्राम स्थित प्रोबो मीडिया टैक्नोलॉजीज कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने कंपनी और उसके निदेशकों के परिवार के सदस्यों की करीब 117.41 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. कुर्क की गई संपत्तियों में कंपनी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर्स में निवेश, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक बैलेंस और निदेशकों के परिवार के सदस्यों के नाम पर फ्लैट और अपार्टमेंट शामिल हैं. बता दें कि प्रोबो ऐप और वेबसाइट ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ऑनलाइन जुआ चलाती थी.

IndusInd Bank
कॉर्पोरेट ऑफिस : इंडसइंड बैंक लिमिटेड, नं. 34, जी.एन. चेट्टी रोड़, चेन्नई-600017.
www.indusind.com फोन : 0442834600 28346301, फेक्स : 04428346312
ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/9(1) के अंतर्गत अचल सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आम जनता को तथा विशेष रुप से उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता/जमानतदार को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा इंडसइंड बैंक लिमिटेड के सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, 'जहां है जैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएगी। खाते का विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ जमानतदार का नाम	बकाया राशि	13(2) मांग सूचना की दिनांक	आधिपत्य की दिनांक	संपत्ति का विवरण	संपत्ति हेतु आरक्षित मूल्य	संपत्ति हेतु अग्रिम जमा राशि	नीलामी की तिथी एवं समय
1.	**ऋणी** – श्री मोहम्मद हुसैन खिलजी पिता बाबु खान खिलजी **सह-ऋणी** – श्रीमती आमरीन खिलजी पति मोहम्मद हुसैन खिलजी **सभी का पता**– 1531, गौकुल गंज, महू, इंदौर, (म.प्र.)- 453441 **लोन नं. IAC05252M एवं IAC05253M**	₹ 26,95,384/- (रुपये छब्बीस लाख पिंचायनवे हजार तीन सौ चौरासी मात्र) दिनांक 30.06.2021 तक	30.06.2021	19.10.2022	**सम्पत्तिः** मकान नं. बीएम 138, एमआईजी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, वार्ड नं. 4, सेक्टर 1, पिथमपुर तहसील एवं जिला धार मध्य प्रदेश 454774 **क्षेत्रफल**–840 वर्ग फीट	₹ 19,17,300/- (रुपये उन्नीस लाख सत्रह हजार तीन सौ मात्र)	₹ 1,91,730/- (रुपये एक लाख इक्यानवें हजार सात सौ तीस मात्र)	30/12/2025 प्रातः 11 बजे से दोप. 2 बजे तक

नियम एवं शर्तें:
1. बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाईन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.indusind.com या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं।
2. **निविदा दस्तावेज जमा करने के साथ ही बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10% राशि ईएमडी के रूप में जमा करनी होगी तथा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 29.12.2025 को शाम 4:00 बजे तक है तथा न्यूनतम बोली वृद्धि राशि 10000/- (दस हजार रुपये) होगी।** बैंक ने आरक्षित मूल्य तथा उक्त उल्लिखित बयाना राशि (ईएमडी) तय कर दी है, इसे इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा। **संपर्क व्यक्तिः श्री राजीव चौकसे 8839904792.**
3. **सफल बोलीदाता** बिक्री मूल्य का 25% (बोली के साथ पहले से भुगतान की गई 10% राशि घटाकर) का भुगतान और जमा करेगा, यानी खरीदार को ई-नीलामी की तिथि पर बिक्री की पुष्टि होने पर या अगले कार्य दिवस में शेष 15% का भुगतान करना होगा। इसके बाद बिक्री मूल्य की 75% शेष राशि सरफेसी अधिनियम के अनुसार बिक्री पुष्टिपत्र की तारीख से **15 दिनों** के भीतर जमा करना आवश्यक है।
4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रक्रिया को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है।

दिनांक : 13-12-2025, स्थान : मध्य प्रदेश
ह/- प्राधिकृत अधिकारी
इंडसइंड बैंक लिमिटेड

यूको बैंक UCO BANK (A Government of India Undertaking)
आनंद बाजार शाखा: 3, के. के. बियास, साकेत चौराहा, आनंद बाजार, इन्दौर (म.प्र.) 452001

बैंक को गिरवी रखें स्वर्ण की नीलामी बिक्री

बैंक द्वारा निम्न उधारकर्ताओं को हमारी शाख द्वारा गोल्ड लोन योजना के अन्तर्गत दी गई अग्रीम राशि की भरपाई शेष है, जिसके संदर्भ में **यूको बैंक के अधिकारी (शाखा प्रबंधक) आनंद बाजार शाखा, इन्दौर** में उधारकर्ता को बैंक की शेष बची निम्नलिखित राशि + भुगतान के लिए नोटिस जारी की गई थी। परन्तु उनके द्वारा बकाया शेष राशि चुकाने में चूक होने पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने अधिकारों/शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक में गिरवी रखें स्वर्ण की नीलामी/बिक्री द्वारा शेष बकाया राशि की वसूली की जावेगी। इस संबंध में स्वर्ण की बिक्री सार्वजनिक नीलामी से **दिनांक 29.12.2025 समय दोपहर 12.00 बजे (शाखा) आनंद बाजार शाखा, इन्दौर** पर निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण के अनुसार की जाएगी।

उधारकर्ता का नाम एवं पता	स्वर्ण का विवरण	कुल वजन (ग्राम में)	शुद्ध वजन (ग्राम में)	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना जमा (रु.)	नीलामी बिक्री की तिथी
श्री अंकित व्यास, 113, दुर्गा कॉलोनी, मरिमाता चौराहा, इन्दौर - 452006 (म.प्र.)	चैन - 5	51.40	43.00	455155	113789	29.12.2025
	अंगूठी - 3	14.30	12.00	127020	31755	
	झुमके - 12	59.80	48.00	508080	12700	
	ब्रेसलेट - 1	7.70	6.70	70920	17730	
	टीका - 2	13.90	10.50	111145	27786	
	माला - 1	11.20	5	52925	13231	
	हार - 7	208.70	159	1683015	420754	
	चूड़ीयाँ - 12	242.70	162	1714770	428693	
	बाजुबंदर - 3	74.20	60	635100	158775	

नियम व शर्तें: (1) बैंक स्वर्ण संबंधी किसी वस्तु या अन्य आभूषण/सिक्कों के वजन या शुद्धता के प्रतिशत की गारंटी नहीं देता। **(2)** प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारी कोई भी कारण बताए बिना नीलामी बिक्री के किसी भी/सभी बीड/प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार या स्थगित/टालना/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। **(3)** नीलामी के माध्यम से आभूषण की खरीद के लिए दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय बैंक का ही होगा एवं बैंक अधिकतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। (4) स्वर्ण/अन्य आभूषण/सिक्कों को बैंक में नीलामी के तारीख से निर्धारित (15) दिन के पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर कारोबार घंटे के दौरान इच्छुक बोलीदाताओं के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। (5) इच्छुक खरीदारों को आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत बयाना के रुप में जमा करवाना होगा। (6) सफल बोलीदाताओं को शेष राशि के भुगतान के बाद आभूषण 24 घंटे के भीतर या अगले कार्यदिवस पर कामकाज के समय के दौरान सौंप दिये जायेंगे। (7) अगर सफल बोलीदाता बकाया राशि का भुगतान एक दिन के अंदर करने में विफल रहता है तो बैंक बयाना के रुप में दी गई राशि को जब्त कर लेगी और जब्त करने की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर आभूषणों की फिर से नीलामी कर सकती है, एवं पहली नीलामी के दौरान वह सफल बोलीदाता जिन्होंने बयाना के रुप में भुगतान की राशि के सामने आभूषण नहीं लिए उन्हें बकाया के रुप में तय की गई राशि में शेष राशि का भुगतान करना होगा। (8) असफल बोलीदाता को नीलामी खत्म होने के तुरंत बाद बयाना के रुप में ली गई राशि वापस की जायेगी। (9) बैंक नीलामी के दौरान किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, इस मामले में बयाना के रुप में ली गई राशि उस जमाकर्ता को लौटा दी जायेगी। (10) किसी भी प्रकार का विवाद इन्दौर क्षेत्राधिकार के अंदर सुने जायेंगे।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 13.12.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, शाखा आनंद बाजार, इन्दौर**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कॉर्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़,अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400069
मंदसौर एजीयु शाखा: मकान नं. 164, गांधी मार्केट वार्ड- 13, यशोधाम मार्ग, जोन नं.07, नूतन स्कूल के सामने, मंदसौर 458001 (म.प्र.)
उज्जैन शाखा: 06/प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन-456010

मांग सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटेस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता **आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंटेस्ट (इंफोर्समेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुनः उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुनः सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं/या पुर्न प्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो/लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

क्रं.	उधारकर्ताओं एवं सह-उधारकर्ता / जमानतदार के नाम	मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति/यां)
1	(लोन कोड नं. 70610000013/ मंदसौर एजीयू शाखा) दिनेश (ऋणी) कलावती राठौर (सह-ऋणी)	10-12-2025 एवं ₹ 6,05,233/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, पटवारी हल्का नं. 50 स्थित संपत्ति, वार्ड नं. 15, ग्राम आमद, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- सार्वजनिक रास्ता, पश्चिम - तूफान कछावा का मकान, उत्तर - मेन रोड़, दक्षिण - स्वयं की निजी भूमि
2	(लोन कोड नं. 02010001204/ उज्जैन शाखा) स्व. ईसमाइल (कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व) (ऋणी) मेहराज बी (सह-ऋणी)	10-12-2025 एवं ₹ 16,27,482/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नं. 13, मौलाना अजाद मार्ग, पथ नं. 01, गली नं. 14, उेज्जैन, मध्य प्रदेश **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- मुन्ना का मकान, पश्चिम - कमलाउद्दीन का मकान, उत्तर - सार्वजनिक रास्ता, दक्षिण - सार्वजनिका रास्ता

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

स्थान : मध्य प्रदेश **सही/- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 13.12.2025 **वास्ते – आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**